*ग्रामीण सहकारी समितियां: स्थिति पुनर्निर्धारण**

आर.गांधी

मुझे इस ऐतिहासिक शहर लखनऊ में, सहकारी बैंक - नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना विषय पर इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी को संबोधित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह एक अत्यंत ही समसामयिक मुद्दा है। वास्तव में, यह एक सदी या उससे भी अधिक समय से एक सदाबहार मुद्दा बना हुआ है। आपको केवल 1951 का अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के एक प्रसिद्ध कहावत को स्मरण करने की जरूरत है, जो इस प्रकार है, 'सहकारिता विफल हुई, लेकिन सहकारिता को अवश्य सफल होनी चाहिए'। यह दर्शाता है कि सहकारिता का भारत में विचित्र इतिहास रहा है, जिसमें बहुत उतार-चढ़ाव थे। इसीलिए हम 'नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना' जैसा इस सम्मेलन के आयोजकों ने नाम दिया है एवं 'रीपज़िशनिंग' जो मेरी प्राथमिकता थी, विषय पर बात कर रहे हैं।

भाग I - ग्रामीण सहकारी समितियां: वर्तमान स्थिति

2. ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों का अस्तित्व वास्तव में एक संस्थागत प्रणाली के रूप में हुआ ताकि किसानों को किफायती लागत पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके और ग्रामीण ऋणग्रस्तता एवं गरीबी इन दो मुद्दों का समाधान किया जा सके। अपने आउटरीच एवं कारोबार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की बदौलत ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों का ग्रामीण ऋण वितरण व्यवस्था में एक विशिष्ट स्थान है। अल्प एवं दीर्घ-कालिक ऋणों के जरिए वे ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रदता को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने, रोजगार अवसर का निर्माण करने एवं गरीब और कमजोर लोगों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए ऋण वितरण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते आ रहे हैं। कई समितियों ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सहकारी ऋण समितियों की प्रासंगिकता और महत्व पर जोर दिया है जिसमें अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति से लेकर वैद्यनाथन समिति शामिल हैं।

3. आज, अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के अंतर्गत 32 राज्य सहकारी बैंक और 371 जिला केंद्र सहकारी बैंक हैं जो 14,907 शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। प्रारंभिक स्तर पर 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 92,996 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) थीं जो सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती थीं लेकिन कई गैर-वित्तीय सेवाएं भी मुहैया कराती थीं जैसे, इनपुट आपूर्ति, उत्पत्ति का भंडारण एवं विपणन, उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति आदि।

4. सहकारी बैंकिंग संरचना का अब तक का सफर आसान नहीं रहा है। उसमें विधिक, संरचनागत और संगठनात्मक कठोरताएं थीं जिसके कारण सहकारी समितियों के कार्य में संघर्ष और चुनौती बने रहे।

5. बैंकों के विनियामक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक का दायित्व है कि वह एक मजबूत और स्थिर बैंकिंग व्यवस्था क़ायम रखे। चूंकि बैंक अत्यंत लाभप्रद संस्था है और जनता की असंपार्श्वीकृत जमाओं की असीमित राशि स्वीकार करता है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि बैंक दृढ़ मार्गदर्शन में कार्य करे, अच्छी तरह से विनियमित एवं पर्यवेक्षित हो और इन संस्थाओं में जनता का विश्वास बना रहे।

6. 1990 के आरंभ में आर्थिक और वित्तीय सुधार हेतु जो पहल की गई थीं, वे प्रमुख रूप से अखिल भारतीय और अंतरराष्ट्रीय परिचालन वाले वाणिज्य बैंकों पर केंद्रित थीं। सहकारी बैंकों को सुधार की परिधि के बाहर रखा गया था क्योंकि इन बैंकों का कार्य क्षेत्र सीमित था, बैंकिंग उत्पाद सरल था, कारोबार की मात्रा कम थी और भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की कुल आस्ति और देयताओं में छोटा हिस्सा था। सहकारी बैंकों के संबंध में विनियामक व्यवस्था

* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर.गांधी द्वारा 09 फरवरी 2016 को ग्रामीण विकास बैंकर संस्थान (बीआईआरडी), लखनऊ में आयोजित सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में 'कृषि वित्त में नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना' विषय पर प्रस्तुत मुख्य बातें। इस संबंध में श्री अजय गोपाल रे से प्राप्त सहयोग के लिए बहुत आभारी हूं।

कम सख्त बनी रही। पूंजी पर्याप्तता और अन्य विवेकपूर्ण मानदण्ड सहकारी बैंकों पर लागू नहीं थे। तथापि, वाणिज्य बैंकों ने कारोबार के विस्तार, उत्पाद विविधता एवं प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिए उल्लेखनीय प्रगति करना जारी रखा लेकिन सहकारी प्रणाली में कमजोरी और अधिक सुस्पष्ट हो गई तथा उनकेअस्तित्व के लिए ख़तरा साबित हुई। विशेष रूप से, सहकारी बैंकों की प्रासंगिकता और अस्तित्व का प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि बड़ी संख्या में राज्य और केंद्र सहकारी बैंक, बैंकिंग विनियम अधिनियम की परिधि के अंतर्गत आने की तारीख से 40 वर्षों के बाद भी बगैर बैंकिंग लाइसेंस के परिचालन कार्य कर रहे थे।

7. अगस्त 2004 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की बहाली एवं इस प्रक्रिया को सरल करने संबंधी आवश्यक विधिक उपाय हेतु कार्य योजना बनाने के लिए एक कार्य दल का गठन किए जाने के परिणामस्वरूप अल्प-कालिक सहकारी ऋण व्यवस्था (एसटीसीसीएस) में सुधार के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई। प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्य दल ने संस्तुति दी कि व्यवस्था की कमजोरी के मूल कारण का समाधान किए बगैर कोई भी वित्तीय पुनर्गठन स्थिर रूप से बहाल नहीं हो पाएगा। कार्य दल ने कई सुझाव रखे जिसमें एसटीसीसीएस के तुलन पत्रों के शुद्धीकरण हेतु वित्तीय पैकेज, लोकतांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करने के लिए सहकारी समितियों के लिए आवश्यक विधिक एवं संस्थागत सुधार शामिल हैं। प्रमुख सिफारिशों में से एक था एसटीसीसीएस के तीन टिअर के लिए पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदण्ड।

विनियामक पहल

8. वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की कि सभी बैंकों को 31 मार्च 2012 से पहले लाइसेंस प्राप्त कर लेना चाहिए और जो लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें सहकारी दायरे से शांतिपूर्ण ढंग से बाहर किया जाना चाहिए। कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार एसटीसीसीएस हेतु भारत सरकार की बहाली पैकेज के अंतर्गत 25 राज्य सरकारों ने वित्तीय सहायता हेतु समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है। रिज़र्व बैंक ने, एक प्रमुख नीति उपाय के रूप में राज्य एवं केंद्र सहकारी बैंक संबंधी लाइसेंस मानदण्डों में शिथिलता बरती है। इन दो पहलों की वजह से 2008 से बड़ी संख्या में बैंकों को लाइसेंस प्राप्त होने लगे।

राज्य एवं केंद्र सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग में प्रगति

को यथास्थिति	राज्य सहकारी बैंक			केंद्र सहकारी बैंक		
	लाइसेंसधारी	लाइसेंस रहित	कुल	लाइसेंसधारी	लाइसेंस रहित	कुल
31.3.2006	13	18	31	73	298	371
31.3.2009	14	17	31	75	296	371
31.3.2010	22	9	31	176	195	371
31.3.2011	24	7	31	221	150	371
31.3.2012	30	1	31	329	42	371
31.6.2013	31	1^	32	348	23	371
आज की तारीख में	32	1*	33	349	22	371

^ झारखंड राज्य सहकारी बैंक को 26.08.2013 को लाइसेंस प्रदान किया गया।
* तेलंगाना राज्य सहकारी बैंक ने 01.04.2015 को अपना परिचालन कार्य प्रारंभ किया।

9. 31 मार्च 2013 को यथास्थिति राज्य एवं केंद्र सहकारी बैंकों के सीआरएआर की स्थिति से पता चलता है कि 31 में से 23 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) एवं 371 में से 278 केंद्र सहकारी बैंकों (सीसीबी) का सीआरएआर 7 प्रतिशत से अधिक था। छह राज्य सहकारी बैंक और 48 केंद्र सहकारी बैंक का सीआरएआर 4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच था। हमें लगा कि यह इन बैंकों में बेसल-I पूंजी पर्याप्तता ढांचा लागू करने का उचित समय था। अतएव, बैंकों में बेसल-I मानदण्डों को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत 31 मार्च 2015 तक 7 प्रतिशत और 31 मार्च 2017 तक 9 प्रतिशत सीआरएआर का लक्ष्य रखा गया। बैंकों को दीर्घ-कालिक (गौण) जमाओं और नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों के जरिए अतिरिक्त पूंजी स्रोत जुटाने की अनुमति प्रदान की गई थी। 31 मार्च 2015 को यथास्थिति, 30 राज्य सहकारी बैंक एवं 301 केंद्र सहकारी बैंकों का सीआरएआर 7 प्रतिशत या उससे अधिक था।

10. बैंककारी नियम (संशोधन) अधिनियम 2012 के अनुसरण में गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक एवं केंद्र सहकारी बैंकों के सीआरआर तथा सभी राज्य सहकारी बैंक एवं डीसीसीबी के एसएलआर को 12 जुलाई 2014 से प्रारंभ पखवाड़े से वाणिज्य बैंकों के समतुल्य कर दिया गया है। एसएलआर हेतु पात्र आस्तियों को भी समतुल्य कर दिया गया था। संशोधित अपेक्षाओं को पूरा

करने के लिए बैंकों को सक्षम बनाने हेतु वर्तमान एसएलआर मियादी जमाओं को 31 मार्च 2017 को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए रूपरेखा उपलब्ध कराई गई थी।

11. 01 अक्तूबर 2014 की तारीख से आरबीआई में शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों से संबंधित विनियामक कार्य-क्षेत्रों को एक विभाग के अंतर्गत लाया गया। पूर्व में शहरी बैंक विभाग को विभाजित किया गया और उसका नामकरण सहकारी बैंक विनियम विभाग (डीसीबीआर) एवं सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) कर दिया गया था। यूसीबी के पर्यवेक्षण का अधिकार डीसीबीएस को है जबकि एसटीसीबी और सीसीबी का पर्यवेक्षण कार्य नाबार्ड के पास है। ग्रामीण और शहरी सहकारी ऋण व्यवस्थाओं में संरचनागत भिन्नताओं पर ध्यान देते हुए सहकारी बैंकों के विनियम में तालमेल और अनुरूपता लाना इस नई व्यवस्था का उद्देश्य है।

12. सहकारी बैंकों के विनियम में अनुरूपता लाने के उद्देश्य से हाल में बनाई गई कतिपय नीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे, स्वर्ण ऋण एकमुश्त चुकौती सीमा को एक लाख रुपए से बढ़कर दो लाख रुपए करना, राज्य सहकारी बैंकों द्वारा शाखाओं/विस्तार काउंटरों को खोलने संबंधी दिशानिर्देश, एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करना, मोबाइल/ऑफ-साइट एटीएम एवं इंटरनेट बैंकिंग स्थापित करने संबंधी दिशानिर्देश तथा बाजार अवसंरचना कंपनियों जैसे, एनपीसीआई, सीसीआईएल आदि में निवेश हेतु एसटीसीबी/डीसीसीबी को अनुमति प्रदान करना। अनुमोदनों में तेजी लाने के लिए हमने अधिकांश इन क्षेत्रों में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकार प्रदान किया है।

राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के वित्तीय निष्पादन

13. आज एसटीसीबी एवं डसीसीबी ने पर्याप्त वित्तीय दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार उनका संयुक्त पूंजी और रिज़र्व, एसटीसीबी के लिए रु. 20.1 हजार करोड़ तथा डीसीसीबी के लिए रु. 51.04 हजार करोड़ रहा। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार सभी राज्य सहकारी बैंकों का संयुक्त तुलन पत्र रु. 1.98 लाख करोड़ तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का रु. 4.06 लाख करोड़ रहा। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार उनका सकल एनपीए क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत रहा। उनके संयुक्त निवल लाभ क्रमशः रु. 1,005 करोड़ तथा रु. 793 करोड़ थे।

राज्य सहकारी बैंक
31 मार्च 2012, 2013, 2014 और 2015 की स्थिति के अनुसार देयताओं और आस्तियों की संरचना

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	मद	31 मार्च को यथास्थिति				संवृद्धि दर		
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देयताएं								
1	पूंजी	3,508.47	3,053.59	4,537.67	5,164.53	-12.97	48.60	13.81
2	रिज़र्व	11,823.68	12,331.13	11,147.76	14,845.63	4.29	-9.60	33.17
3	जमाराशि	86,428.84	94,516.14	1,04,207.43	1,02,591.87	9.36	10.25	-1.55
4	उधार राशि	43,424.04	50,947.50	6,0938.92	68,413.44	17.33	19.61	12.27
5	अन्य देयताएं	7,564.23	7,445.42	6,752.64	6,838.11	-1.57	-9.30	1.27
कुल देयताएं		1,52,749.26	1,68,293.78	1,87,584.42	1,97,853.58	10.18	11.46	5.47
आस्तियां								
1	नकदी और बैंक शेष	7,835.78	8,729.02	18,286.26	6,469.95	11.40	109.49	-64.62
2	निवेश	58,427.32	5,9389.3	61,880.15	69,592.96	1.65	4.19	12.46
3	ऋण और अग्रिम	77,675.09	93,257.94	1,03,116.68	1,14,221.84	20.06	10.57	10.77
4	अन्य आस्तियां	8,811.07	6,917.51	4,301.33	7,569.13	-21.49	-37.82	75.97
कुल आस्तियां		1,52,749.26	1,68,293.78	1,87,584.42	1,97,853.58	10.18	11.46	5.47

जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
31 मार्च 2012, 2013, 2014 और 2015 की स्थिति के अनुसार देयताओं और आस्तियों की संरचना

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	मद	31 मार्च को यथास्थिति				संवृद्धि दर		
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देयताएं								
1	पूंजी	8,913.85	9,700.84	11,147.76	12,942.53	8.83	14.9	16.10
2	रिज़र्व	24,785.29	30,299.71	29,044.59	38,102.41	22.25	-4.14	31.19
3	जमाराशि	1,87,770.03	2,08,218.15	2,35,920.76	2,57,563.83	10.89	13.3	9.17
4	उधार राशि	53,924.39	64,968.09	72,776.30	80,199.64	20.48	12.0	10.20
5	अन्य देयताएं	19,817.32	21,281.93	15,139.04	16,917.15	7.39	-28.86	11.75
कुल देयताएं		2,95,210.90	3,34,468.72	3,64,028.45	4,05,725.56	13.3	8.84	11.45
आस्तियां								
1	नकदी और बैंक शेष	21,028.96	19,214.98	22,974.75	21,842.77	-8.63	19.57	-4.93
2	निवेश	93,869.59	1,04,090.60	1,21,593.49	1,37,741.44	10.89	16.82	13.28
3	ऋण और अग्रिम	15,7184.4	1,83,969.57	2,02,672.62	2,19,197.92	17.04	10.17	8.15
4	अन्य आस्तियां	23,127.98	27,193.57	16,787.59	26,943.43	17.58	-38.27	60.50
कुल आस्तियां		295210.90	334468.72	364028.45	405725.56	13.3	8.84	11.45

चार्ट 1: एसटीसीसीबी और डीसीसीबी के सकल एनपीए अनुपात

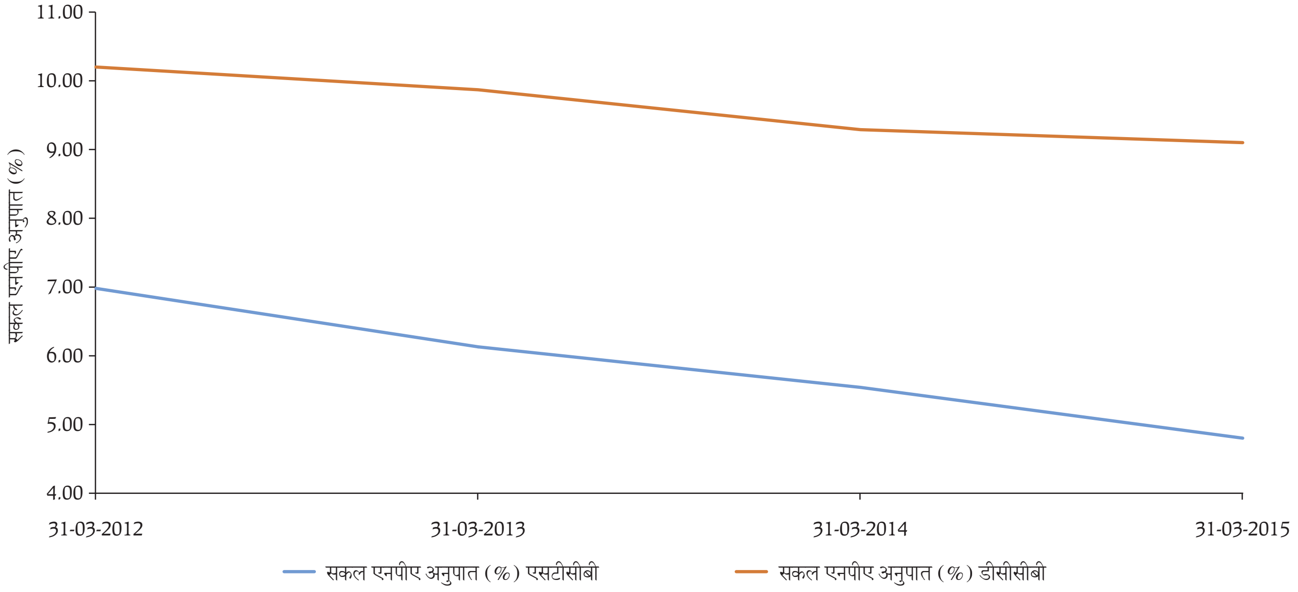

14. एसटीसीसीबी/डीसीसीबी की आस्ति की गुणवत्ता में पिछले तीन वर्षों में सुधार हुआ। वर्ष 2013 और 2015 के बीच एनपीए के प्रतिशत में आई गिरावट से इसका पता चलता है। तथापि, मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत एक चिंता का विषय है क्योंकि वह गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाती है। क्षेत्र-वार भी बड़ी विविधता पाई गई। वर्ष 2014 में, एसटीसीसीबी का एनपीए उत्तरी क्षेत्र में 19.3 प्रतिशत और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 17.12 प्रतिशत के बीच रहा। सीसीबी के मामले में यह उत्तरी क्षेत्र में 5.27 प्रतिशत और

पूर्वी क्षेत्र में 10.98 प्रतिशत था। इसी वर्ष के दौरान, एसटीसीबी के मामले में, मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत उत्तरी क्षेत्र में 97.9 और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 49.10 था। इसी प्रकार सीसीबी के मामले में, मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत उत्तरी क्षेत्र में 83.16 और पूर्वी क्षेत्र में 67.23 था।

राज्य सहकारी बैंक

वर्ष	सीआरएआर %				
	< 4	4 से <7	7 से <9	9 और अधिक	कुल
2012-13	2	6	7	17	32
2013-14	0	6	7	19	32
2014-15	2	0	11	19	32

केंद्रीय सहकारी बैंक
सीआरएआर - 2012-13, 2013-14 और 2014-15

वर्ष	सीआरएआर %				
	< 4	4 से <7	7 से <9	9 और अधिक	कुल
2012-13	45	47	70	208	370
2013-14	24	45	77	222	368
2014-15	43	27	93	208	371

मुद्दे और चुनौतियां

15. सहकारी बैंकिंग क्षेत्र द्वारा समाधान किए जाने वाले कतिपय प्रमुख मुद्दे गवर्नन्स, प्रबंधन, दृढ़ पूंजी आधार, प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी से संबंधित हैं। हमने एसटीसीबी एवं सीसीबी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए उपयुक्त एवं उचित मानदंड निर्धारित किया है। संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम सहकारी बैंकों के बोर्ड में कम से कम दो पेशेवर निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम में सहकारी समितियों के गवर्नन्स एवं स्वायत्त कार्य-क्षेत्र में सुधार के लक्ष्य से अन्य मुद्दों को भी शामिल किया गया है, जैसे, व्यावसायिक तौर पर अर्हता प्राप्त लेखापरीक्षकों को नियुक्त करना, बोर्ड की अवधि, बोर्ड के अधिक्रमण की शर्तें, वार्षिक आम बैठकों में सदस्यों की सक्रिय सहभागिता आदि। अच्छे गवर्नन्स एवं प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त का सच्ची भावना के साथ कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।

16. संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम के अनुसार सहकारी समिति की लेखापरीक्षा, अर्हता प्राप्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पैनल से लेखापरीक्षा फर्म नियुक्त किए जाएं। नाबार्ड ने सभी राज्यों के आरसीएस से अनुरोध किया है कि वे एसटीसीबी/सीसीबी की सांविधिक लेखापरीक्षा हेतु सनदी लेखाकार उपलब्ध कराएं। हमने लेखापरीक्षित वित्तीय पैरामीटर एवं नाबार्ड द्वारा की गई लेखापरीक्षा के बीच बड़ी विविधता देखी, विशेष रूप से एनपीए की रिपोर्टिंग एवं प्रावधान के संबंध में। विभिन्न विनियामक अनुमोदन प्रदान करने तथा अनुपालन मानकों के एक्सेस के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर निर्भर किया जाता है इसलिए सांविधिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। हमने, इसे प्राप्त करने के लिए, सांविधिक लेखापरीक्षकों को हमारे अनुदेशों से अवगत कराने के लिए कार्यशाला/संगोष्ठी आयोजित करने की योजना बनाई है। हम सहकारी बैंकों के लिए मानक लेखापरीक्षा रिपोर्ट फार्मेट तैयार करने के लिए सनदी लेखाकार संस्थान से मदद लेंगे।

17. सहकारी बैंकों को आंतरिक उपचय के जरिए अपने लाभ को बेहतर करना चाहिए और न कि सरकार द्वारा बारम्बार प्रदान की जाने वाली पूंजीगत सहायता पर निर्भर होना चाहिए। उनके द्वारा जमा और ऋण संबंधी मूल्य निर्धारण नीतियों, मूल्यांकन प्रणाली, वसूली पद्धति, प्रमुख व्यय मदों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा हानि को दूर करने तथा आय को बढ़ाने के लिए समुचित कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। अनुमोदन स्तर पर प्रभावकारी ऋण मूल्यांकन नीतियों को कार्यान्वित करने से बाद में वसूली पर कम दबाव पड़ेगा और इस प्रकार कानूनी मामले संबंधी खर्च भी घटेंगे। ऋण खातों की निरंतर निगरानी, जो धीरे-धीरे बढ़ती रुग्णता एवं चूक का संकेत देती है और प्रारंभिक स्तर पर वसूली के उद्देश्य से किए गए प्रभावकारी उपाय आस्ति की गुणवत्ता को नष्ट होने से रोकेंगे। इसके साथ ही, एनपीए के लिए किए गए उच्चतर प्रावधान से लाभप्रदता में भारी गिरावट आती है। बैंक को अपने अर्जन में वृद्धि करने के लिए शुल्क-आधारित क्रियाकलापों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

18. एक और क्षेत्र जो हमारे लिए और नाबार्ड के लिए निरंतर एवं गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, वह है धोखाधड़ी रोकने में सहकारी बैंकों की असमर्थता। अधिकांश समय, स्वयं बैंकों के स्टाफ द्वारा या उनकी मिलीभगत में धोखाधड़ी की जाती है। वर्ष 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी के 2,589 मामले पाए गए और जिसकी बकाया राशि रु. 877.7 करोड़ पाई गई। यदि बैंक उपर्युक्त राशि को वसूलने में विफल होती हैं तो उन्हें इन हानियों को खपाना पड़ेगा। सहकारी बैंकों को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि क्या वास्तव में धोखाधड़ी नहीं रोकी जा सकती हैं।

19. आज की बैंकिंग में प्रौद्योगिकी को अपनाना अनिवार्य है। एसटीसीबी एवं डीसीसीबी में सीबीएस का कार्यान्वयन, जो 2012 में शुरू किया गया था, सभी 32 एसटीसीबी एवं 347 लाइसेंसधारी डीसीसीबी में पूरा किया जा चुका है। ये बैंक अब अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष या उप-सदस्यता मार्ग के जरिए आरटीजीएस एवं एनईएफटी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और साथ ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में भाग ले सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों के जरिए मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में मानदंड पहले ही परिचालित कर दिया है। प्रौद्योगिकी का अपना जोखिम होता है इसलिए सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे समुचित जोखिम मूल्यांकन एवं जोखिम शमन नीतियां बनाएं। धोखाधड़ी रोकने, आंकड़ों की शुद्धता को बनाए रखने तथा ग्राहक सूचना के रहस्योदघाटन को रोकने के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली महत्वपूर्ण है। बैंकों को चाहिए कि वे आंतरिक नियंत्रण में असफलता के कारण उन पर आने वाली देनदारियों को संभालने के लिए उपाय विकसित करे। इस संबंध में किसी भी प्रकार के भूल से न केवल धन के रूप में लागत पर असर पड़ेगा बल्कि ग्राहकों के विश्वास का भी नुकसान होगा।

20. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए दूरस्थ क्षेत्रों को वित्तीय रूप से शामिल करने का असाधारण सामर्थ्य रखती हैं। नाबार्ड उत्पादों और सेवाओं के प्रति जागरुकता और मांग बढ़ाने के लिए सहकारी बैंकों को प्रौद्योगिकी सहायक बैंकिंग प्लेटफार्म कार्यान्वित करने और वित्तीय साक्षरता केंद्र तथा आईसीटी-समर्थित कीओस्क वाले सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। सहकारी बैंकों में सीबीएस के कार्यान्वयन, आंकड़ों का पीएसीएस से डीसीसीबी में स्थानांतरण, रूपे और केसीसी कार्ड का मुद्दा तथा माइक्रो-एटीएम एवं पीओएस टर्मिनल पर होने वाले खर्चों की आपूर्ति के लिए वित्तीय समावेशन निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहकारी बैंकों को नाबार्ड के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से वंचित लोगों तक उसे पहुंचाया जा सके।

21. मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के कार्यान्वयन से कहीं भी बैंकिंग की सुविधा होगी जिससे ग्राहकों को बैंक परिसर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूंकि ग्राहकों के साथ भौतिक संपर्क सीमित या शून्य हो जाएगा इसलिए बैंको को पर्याप्त केवाईसी जांच पर ध्यान देना चाहिए। आईटी प्रणाली के प्रबंधन और डेटाबेस प्रबंधन गतिविधियों के आउटसोर्सिंग के लिए तृतीय पक्ष के सेवा प्रदाताओं की सेवाएं प्राप्त करते समय समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

22. प्रौद्योगिकी को अपनाने और विनियामक नीतियों के उदारीकरण के साथ सहकारी बैंक नए कार्यकलापों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके प्रति वे अनभिज्ञ हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण वर्तमान संदर्भ में महत्व रखता है। लाभप्रदता, क्षमता और दक्षता को बेहतर करने के लिए कर्मचारी, निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों सहित सभी स्तरों पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सहकारी बैंकों को क्षमता निर्माण हेतु नाबार्ड द्वारा सहकारी विकास निधि के जरिए एवं सहकारी बैंक कार्मिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना (एसओएफटीसीओबी) के अंतर्गत प्रदान की गई आर्थिक सहायता का उपयोग करना चाहिए। सहकारी बैंक आरबीआई, नाबार्ड और विभिन्न सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

23. आज का ग्राहक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और हमारी बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता की मांग करता है। प्रत्येक

सहकारी बैंक को, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, अपनी वेबसाइट पर उत्पाद, पद्धति, फॉर्म, शुल्क/प्रभार, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि ग्राहक उसका एक्सेस कर सके। ग्राहकों को ई-मेल के जरिए बैंक से संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। पारदर्शिता से ग्राहकों के विश्वास, बैंक की छवि में सुधार आएगा और शिकायतों में कमी आएगी।

24. सहकारी बैंक अब अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में कार्य कर रहे हैं। बैंकिंग कार्यक्षेत्र में अधिक खिलाड़ियों के प्रवेश और प्रौद्योगिकी से ग्राहकों का विकल्प बढ़ा है और इस प्रकार बैंकों को वृद्धि का अवसर प्राप्त है एवं अस्तित्व के लिए चुनौतियां का सामना भी करना है। सहकारी बैंक अपने ग्राहकों के विस्तृत ज्ञान और अपने कार्य क्षेत्र की अच्छी जानकारी की बदौलत अपने विशिष्ट बिक्री प्रस्ताव के जरिए नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है और वर्तमान ग्राहक वर्ग को बरकरार रख सकता है। तथापि, ऐसा केवल आउटलुक, प्रक्रियाओं, कारोबार मॉडल तथा कार्यनीति में समुचित परिवर्तन के जरिए ही किया जा सकता है।

भाग II ग्रामीण सहकारी समितियां: पुनर्गठन

ऊंचा दर्जा

25. भारत में सहकारी समितियों का ऊंचा दर्जा है। ऐसा मैं कैसे और क्यूं कहता हूं ? सहकारी समिति के अलावा कई प्रकार की आर्थिक संस्थाएं मौजूद हैं, जैसे, मालिकाना फर्म, साझेदारी फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी, निगमित निकाय। इनमें से, भारत के संविधान में किसका उल्लेख किया गया है? वह भी न सिर्फ सरसरी तौर पर उल्लेख है बल्कि, सहकारी समितियों का निर्माण, अभिशासन और परिचालन किस प्रकार किया जाना है, इस संबंध में एक पूरे खंड को एक अंश के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया गया है, जो 93वें संशोधन की बदौलत हो पाया है।

26. इतना ही नहीं, आप बहुत से पंच वर्षीय योजना के दस्तावेज देख लीजिए - जो सहकारी समितियों के योगदान, उनकी भूमिका और सहकारी समितियों से अपेक्षाओं के मजबूत संदर्भ से परिपूर्ण हैं। इनमें से कुछ को उद्धृत करता हूं - द्वितीय पंच वर्षीय योजना (1956-1961) में **राष्ट्रीय नीति का एक केंद्रीय लक्ष्य होने के नाते** 'योजनाबद्ध विकास की योजना के एक अंश के रूप में **सहकारी क्षेत्र के निर्माण**' पर बल दिया गया। तृतीय पंच वर्षीय योजना (1961-1969) में **समन्वय को उत्तरोत्तर रूप से आर्थिक जीवन की शाखाओं,** खासकर कृषि, लघु सिंचाई, लघु उद्योग एवं प्रसंस्करण, विपणन, संवितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास और निर्माण तथा स्थानीय समुदायों के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रावधान में, **संगठन का प्रमुख आधार बनना चाहिए।** यहां तक कि मध्यम और बड़े उद्योगों तथा परिवहन में विभिन्न प्रकार की बढ़ती गतिविधियों को सहकारी तर्ज पर किया जा सकता है। आठवीं पंच वर्षीय योजना (1992-1997) में सहकारी आंदोलन को अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हुए और आंदोलन को लोकतंत्र करते हुए **स्व-नियंत्रित, स्व-विनियमित एवं आत्मनिर्भर संस्थागत व्यवस्था** के रूप में खड़ा करने पर जोर दिया गया।

27. पंडित जवाहरलाल नेहरु, जिनका सहकारी आंदोलन में दृढ़ विश्वास है, ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में सहकारी नेतृत्व पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते समय कहा था 'वर्तमान में मेरा परिदृश्य सहकारी आंदोलन को क्रमिक रूप से विस्तार करने का नहीं है जैसा कि उसे उत्तरोत्तर रूप से किया गया है। मेरा परिदृश्य भारत को सहकारी आंदोलन के लिए बल देना है या **उसके लिए सहयोग प्रदान करना है, मोटे तौर पर कहूं तो, प्रत्येक ग्राम** के साथ-साथ अन्यत्र भारत की बुनियादी गतिविधि, और अन्ततः, वास्तव में, **सहकारी दृष्टिकोण को भारत की आम सोच बनाना है**...इसलिए, **भारत का संपूर्ण भविष्य वास्तव में** इन असंख्य, सैंकड़ों लोगों के प्रति **हमारे इस दृष्टिकोण की सफलता पर निर्भर करता है**'।

28. सहकारिता पर इस प्रकार का ध्यान, विश्वास और अपेक्षा क्यों? ऐसा इसलिए कि यह 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है? या ऐसा इसलिए कि सहज सुविधाएं सहकारी समिति को परिभाषित करता है? या क्या यह शांति, आपसी समझ, संबंध एवं सहयोग तथा उसके फलस्वरूप होने वाली वृद्धि के सामाजिक-आर्थिक

आदर्श लोक की वजह से है जिसका विश्वास वह अपने सदस्यों को दिलाता है। चलो हम और अधिक खोज करते हैं।

कतिपय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

29. भारत में सहकारी समितियां 19वीं सदी से 20वीं सदी में प्रवेश करने के दौरान प्रकट हुईं। अपने इतिहास के पहले 50 वर्षों में सहकारी समितियों की संख्या इतनी अधिक थी कि 20वीं सदी के मध्य तक दो लाख से अधिक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया। वे आर्थिक गतिविधि शृखंला की सभी विस्तृत श्रेणियों में फैल गईं। चाहे वह ऋण, बंधक, उत्पादन, विपणन, भंडारण, बिक्री, वितरण, उपभोग, थोकबिक्री, खुदरा, सेवा, परामर्श, अनुसंधान आदि आदि हो - आप कोई भी नाम ले लो, सहकारी समितियां सर्वत्र थीं। चाहे वह कृषि, संबद्ध सेवाएं, ग्रामीण उद्योग, विनिर्माण - लघु, मध्यम एवं बृहद, सेवाएं हो, आप आर्थिक गतिविधि के किसी भी खंड का नाम ले लो, वे सब जगह थीं। सहकारी समितियों की उपस्थिति की ऐसी व्यापकता उनके योगदान के आकार एवं गहनता के बिना संभव नहीं हो सकता था। या क्या वह ऐसा था? या क्या वह ऐसा सामाजिक-राजनैतिक इकाई के रूप में अपने स्तर एवं अद्भुत आदर्शलोक स्थापित करने के बड़े विश्वास के कारण था? चलो हम इसकी और परख करते हैं।

30. हम वित्तीय क्षेत्र से हैं एवं इसलिए मेरी अधिकांश टिप्पणियां वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में होंगी, वह भी खास तौर से बैंकिंग क्षेत्र। सबसे पहले ऋण सहकारी समितियों को विनियमित किया गया था। कृषि बैंक का प्रस्ताव सबसे पहले कई वर्ष पूर्व सन् 1858 में रखा गया था। कई समितियों द्वारा कृषि बैंक गठित करने की सिफारिश की गई थी। 1901 में अकाल आयोग द्वारा आपसी ऋण संघों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण कृषि बैंकों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, और इस प्रकार के कदम नॉर्थ वेस्टर्न प्राविन्स और औध सरकार द्वारा लिए गए थे। कई लोगों का अंतनिर्हित विचार था कि एक नव एवं बहुमूल्य प्रतिभूति का स्वेच्छापूर्वक सृजन किया जाए। गारंटी देने के लिए सक्षम मजबूत संघ एवं व्यक्ति विशेष के बजाय समूह को ऋण प्रदान करने का लाभ बड़ा फायदेमंद था। आयोग ने कृषि बैंक एवं भू-बैंकों के अंतर्निहित सिद्धान्तों को भी व्यक्त किया। एड्वर्ड कानून समिति की सिफारिशों के आधार पर सन् 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया था। जैसा उसका नाम सूचित करता है, सहकारी ऋण समिति अधिनियम केवल ऋण सहकारी समितियों तक ही सीमित था। और उसके बाद ही, सहकारी समिति अधिनियम के नाम से एक अधिक विस्तृत कानून बनाया गया। अन्य बातों के साथ-साथ, इस अधिनियम की बदौलत सहकारी समिति के लिए रजिस्ट्रार के पद का निर्माण हुआ और विभिन्न प्रयोजनों तथा उनकी लेखापरीक्षा के लिए सहकारी समितियों के पंजीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

31. 'सभी आपसी ऋण संघों का अंतर्निहित विचार, जैसा हम सिफारिश करते हैं, यह है कि कई व्यक्ति एकसाथ मिलकर एक नव और बहुमूल्य प्रतिभूति का सृजन करें जो एक व्यक्ति के रूप में उनमें से किसी ने पहले न धारण किया हो। सहकारिता की वजह से एकान्त एवं असहाय कृषि इकाई एक मजबूत संघ बनता है जो गारंटी देने में सक्षम होता है और विश्वास जगाने के योग्य होता है। व्यक्ति विशेष को ऋण प्रदान करने के बजाय समूह को ऋण प्रदान करने के लाभ के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किसी ऋणदाता के लिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ पृथक रूप से व्यवहार करने के बजाय पचास या सौ की संख्या वाले एक किसान समूह के साथ पेश आना आसान है। उसके लिए किसी समूह के प्रत्येक सदस्य से धन वापस लेने के बजाय उस समूह से वापस लेना आसान है। किसी समूह के लिए ऋणदाता की अपेक्षा अपने समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ अपनी निजी व्यवस्था करना सरल है'।

32. मैंने जो अभी पढ़ा वह अकाल आयोग 1901 की रिपोर्ट का अंश है। डसंट रिंग सेवरेल बेल्स? हमारे आधुनिक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), माइक्रो वित्त संस्था (एमएफआई) लगभग पूरे सौ वर्ष पहले ही हमारे चिंतन में था। वास्तव में, वे उनके समय से बहुत आगे के विचार थे।

20वीं सदी के पूर्वार्ध में सहकारी समितियां

33. 20वीं सदी के पूर्वार्ध में आम तौर पर सहकारी समितियों की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और खास तौर पर ऋण सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर दो लाख से भी अधिक हो गई। लेकिन उनका क्या योगदान था? अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की 1954 की रिपोर्ट इस बुनियादी हकीकत को सामने लाती है कि सहकारी समितियां गांवों में दूर-दूर तक फैली उपस्थिति, एवं ध्यान तथा प्रोत्साहन प्राप्त करने के बावजूद काफी कम ही हासिल कर पाईं। उनका योगदान गांव वालों की ऋण जरूरतों का सिर्फ 3.1 प्रतिशत था जो सारणी 1 में दर्शाया गया है।

34. अंत में उन्होंने इस प्रसिद्ध कहावत के साथ अपना वक्तव्य पूरा किया कि ‘सहकारिता विफल हुई, लेकिन उसे अवश्य सफल होनी चाहिए’।

20वीं सदी के उत्तरार्ध में सहकारी समितियां

35. अगली आधी सदी को अत्यधिक प्रशंसा मिली। मैंने इसका पहले जिक्र किया था, अर्थात्, सहकारी दृष्टिकोण को भारत की आम सोच बनाना, सहकारी आंदोलन की सफलता पर भारत की संपूर्ण भविष्य की निर्भरता, राष्ट्रीय नीति का केंद्रीय लक्ष्य होते हुए योजनाबद्ध विकास के एक हिस्से के रूप में सहकारी आंदोलन का निर्माण किया जाना, सहकारी समितियां आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख आधार होना इत्यादि।

36. क्या असर हुआ है? बेशक, प्रभाव था। सहकारी समितियों ने उद्धार किया। सारणी 1 से देखा जा सकता है कि ग्रामीण ऋण में उनका योगदान 1951 के 3.1 प्रतिशत से क्रमिक रूप से बढ़कर 2002 में 27.3 प्रतिशत हो गया। और, जैसा मैंने भाग I में उल्लेख किया था, आज, अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के अंतर्गत 32 राज्य सहकारी बैंक हैं और 371 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 14,907 शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार आरंभिक स्तर पर 92,996 प्रमुख कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) थीं। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार सभी राज्य सहकारी बैंकों का संयुक्त तुलन पत्र रु. 1.98 लाख करोड़ रहा और वह जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए रु. 4.06 लाख करोड़ रहा। 31

सारणी 1: संस्थागत और गैर-संस्थागत ग्रामीण ऋण के अलग-अलग विवरण

(प्रतिशत)

	1951	1961	1971	1981	1991	2002
संस्थागत एजेंसियां	7.2	14.8	29.2	61.2	64.0	57.1
सरकार	3.3	5.3	6.7	4.0	5.7	2.3
सहकारी सोसायटी/बैंक	3.1	9.1	20.1	28.6	18.6	27.3
वाणिज्य बैंक जिसमें आरआरबी शामिल हैं	0.8	0.4	2.2	28.0	29.0	24.5
बीमा	--	--	0.1	0.3	0.5	0.3
भविष्य निधि	--	--	0.1	0.3	0.9	0.3
अन्य संस्थागत एजेंसियां *	--	--	--	--	9.3	2.4
गैर-संस्थागत एजेंसियां	92.8	85.2	70.8	38.8	36.0	42.9
जमींदार	1.5	0.9	8.6	4.0	4.0	1.0
कृषि साहूकार	24.9	45.9	23.1	8.6	6.3	10.0
पेशेवर साहूकार	44.8	14.9	13.8	8.3	9.4	19.6
व्यापारी और कमीशन एजेंट	5.5	7.7	8.7	3.4	7.1	2.6
रिश्तेदार और दोस्त	14.2	6.8	13.8	9.0	6.7	7.1
अन्य	1.9	8.9	2.8	4.9	2.5	2.6
कुल	100	100	100	100	100	100

* : इसमें वित्तीय निगम/ संस्था, वित्तीय कंपनी और अन्य संस्थागत एजेंसियां शामिल हैं।
--: उपलब्ध नहीं सूचित करता है।
टिप्पणी: 30 जून को यथास्थिति परिवार के बकाया नकदी शेष में भिन्न-भिन्न क्रेडिट एजेंसियों का प्रतिशत हिस्सा।
स्रोत: अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण (1954); अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, विभिन्न मुद्दे।

मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार उनका सकल एनपीए क्रमशः 4.8 प्रतिशत एवं 9.1 प्रतिशत रहा। उनका संयुक्त निवल लाभ क्रमशः रु. 1005 करोड़ और रु. 793 करोड़ था।

37. क्या हम इससे संतुष्ट हैं? बेशक नहीं। क्यों? सर्वप्रथम, ये संख्याएं 32 एसटीसीबी एवं 371 डीसीसीबी की विस्तृत भिन्नताओं को गुप्त रखती हैं, चाहे वह वित्तीय सुदृढ़ता, लाभप्रदता, क्षमता या आस्ति गुणवत्ता के संदर्भ में हो। दूसरा, क्षेत्रों में भी आपस में भिन्नताएं हैं, चाहे वह संख्या, वृद्धि, दृढ़ता, कार्य-निष्पादन एवं आस्ति गुणवत्ता के संदर्भ में हो। तीसरा, 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 13 एसटीसीबी एवं 163 डीसीसीबी थे जिसका जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) निर्धारित 9 प्रतिशत से कम था। उनके गवर्नेन्स की स्थिति हमारी चिंता का विषय बना हुआ है। सहकारी समितियां, जो मूल रूप से सामाजिक-आर्थिक संस्थाएं होनी चाहिएं, सामाजिक-राजनीतिक संस्थाओं के रूप में कार्य कर रही हैं।

गंवाया अवसर

38. सहकारी समितियों की इन कमजोरियों की वजह से सहकारी प्रणाली द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण अवसर गंवा दिए गए हैं। इससे आपका क्या तात्पर्य है? कृपया 1901 के अकाल आयोग की सिफारिशों को याद करें, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। उनकी सिफारिशों के अनुसार माइक्रो वित्त, स्वयं-सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह आदि सहकारी बैंकों के अहम हिस्सा हैं। कहां हैं वे आज? सहकारी समितियों के साथ नहीं हैं। वे माइक्रो वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के साथ हैं। हम उन्हें वाणिज्य बैंकिंग वर्ग के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रहे हैं।

39. न्यायपूर्वक, सहकारी समितियों द्वारा एमएफ, एसएचजी, जेएलजी आदि को लाभप्रद रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए था। सिर्फ कल्पना करें यदि हम डीसीसीबी एवं एसटीसीबी के आर्थिक सहयोग से प्रमुख कृषि सहकारी समितियों की 95,000 भौतिक अवसंरचना का केवल लाभ उठाते तो क्या हम अभी भी वित्तीय वंचन को कम करने के संबंध में बात करते? क्या हमने वित्तीय समावेशन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है विश्व को नहीं दिखाया होता?

40. हमें इस बारे में आत्मविश्लेषण करना है कि हम क्यों एसएचजी, ग्राम स्तरीय एसएचजी फेडरेशन, जिला स्तरीय एसएचजी फेडरेशन एवं राज्य स्तरीय एसएचजी फेडरेशन आयोजित करने के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, जब समय-समय पर परखा हुआ पीएसीएस-डीसीसीबी-एसटीसीबी मॉडल उपलब्ध है, जो न केवल मॉडल है बल्कि एक कार्यशील अवसंरचना है।

आत्मविश्लेषण हेतु प्रश्न

41. मेरे विचार से, इसका कारण सहकारी समिति के संबंध में बनी धारणाएं हैं कि वे वित्तीय रूप से कमजोर हैं, सामाजिक-राजनीतिक संरचना हैं और परिवर्तन के खिलाफ हैं। इन धारणाओं में अगली पीढ़ी के मन के विचारों और स्वीकृति को ग्रहण करने की अयोग्यताएं एवं तटस्थता शामिल हैं।

42. मैं, सहकारी आंदोलन के अनुभवी व्यक्तियों एवं अन्य हितधारकों, आप सबसे इस विषय पर आग्रह करूंगा कि निम्नलिखित प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाए ताकि ग्रामीण सहकारी समितियों की रीपजिशनिंग की जा सके जिससे वह माइक्रो वित्त के लिए सहायक हो सके, जो उसका मूल कार्य है और जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है :

ए. सहकारी समितियों को सामाजिक-आर्थिक संस्थाओं के रूप में कैसे बदला जा सके?

बी. सहकारी आंदोलन के अंतर्गत एसएचजी आंदोलन को कैसे अपनाया जाए?

सी. पीएसीएस में उपलब्ध भौतिक अवसंरचना का लाभ कैसे उठाया जाए?

डी. बैंकों के बिजनेस कॉरस्पान्डन्ट (बीसी) के रूप में वित्तीय समावेशन में कैसे सहायक हो सकें?

ई. जेन-नेक्स्ट के मन को कैसे पढ़ सकें?

43. यह आपके हाथ में है, कि, क्या हमें कहना चाहिए 'सहकारिता विफल हुई'।